न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी– सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
UPSP010003342026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या 33 सन 2026
मौहम्मद इस्लाम पुत्र स्व0 श्री शेर अली निवासी मकान नम्बर–1224/3, मौहल्ला नवाब गंज किला, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

.....आवेदक।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार
2. नौशाद चौधरी पुत्र श्री इरशाद निवासी अमन कॉलोनी, निकट मन्नत पैलेस, भारत गैस गोदाम रोड, बेहट बस अड्डा, थाना कोतवाली नगर, जिला सहारनपुर।

.....विपक्षीगण।

24.08.2026

निस्तारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में प्रार्थना–पत्र 7क अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–18251/2020 मौहम्मद इस्लाम बनाम नौशाद चौधरी अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट थाना कोतवाली नगर में पारित आदेश दिनांकित 03.03.2022 के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी योजित की है। परिवादी वर्ष 2020 से अपने वाद में लगातार उपस्थित होता रहा था परन्तु अभियुक्त तलबी आदेश के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। माह मार्च 2020 में कोविड–19 के कारण लॉकडाउन लग गया तथा जनवरी 2021 तक न्यायालय में केवल अर्जेन्ट वर्क होता रहा। जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक कार्य हुआ परन्तु अप्रैल 2021 में फिर कोविड–19 के कारण कोरोना कर्फ्यू जारी था और माह सितम्बर सन् 2021 में न्यायालय कार्य सुचारू हुआ। न्यायालय खुलने पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त की गयी तो ई.–कोर्ट ऐप पर जो तारीखें लग रही थी वह अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता को बतायी जाती रही तथा अधिवक्ता द्वारा निगरानीकर्ता को न्यायालय में आने से मना कर दिया और फोन के माध्यम से निगरानीकर्ता को दिनांक 18.02.2022, 26.04.2022, 21.07.2022, 18.10.2022, 18.01.2023, 10.04.2023, 26.06.2023, 20.09.2023, 14.12.2023, 13.03.2024, 23.05.2024, 04.03.2024, 02.09.2024, 02.12.2024, 17.02.2025, 09.06.2025, 29.07.2025 बतायी गयी। इस दौरान निगरानीकर्ता वर्ष 2023 से लगातार मानसिक रूप से बीमार चला आता रहा तथा नियमित रूप से डाक्टर के जेरे इलाज रहा। दिनांक 09.06.2025, 15.07.2025, 29.07.2025 एवं 02.08.2025 को निगरानीकर्ता न्यायालय में आया, परन्तु पत्रावली नहीं मिल पायी तथा उसके बाद ई.कोर्ट एप पर भी अग्रिम तिथि दर्शित नहीं हुयी। दिनांक 02.01.2026 को निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मिलने पर पत्रावली का मुआयना करने पर उक्त वाद को दिनांक 03.03.2022 को अवर न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने का पता चला। दिनांक 02.01.2026 को वाद के खारिज होने की जानकारी हुई तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन करने पर दिनांक 07.01.2026 को प्रमाणित

प्रतिलिपि प्राप्त हुई और दिनांक 08.01.2026 निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें कोई देरी जानबूझ कर नहीं की गयी है। प्रार्थनापत्र के माध्यम से निगरानी योजित करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर, निगरानी अन्दर मियाद माने जाने की याचना की गयी है।

आवेदक की ओर से अपने कथन के समर्थन में सी.आई.एस. पोर्टल से प्राप्त केस स्टेटस रिपोर्ट एवं स्वयं के चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी है।

विपक्षी संख्या–1 उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कहा गया कि आवेदकगण द्वारा जानबूझ कर विधिनुसार निर्धारित समय में निगरानी प्रस्तुत नहीं की है तथा काफी विलम्ब से आक्षेपित आदेश के विरूद्ध निगरानी योजित की गयी है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम आवेदक की ओर से विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–18251/2020 मौहम्मद इस्लाम बनाम नौशाद चौधरी अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट थाना कोतवाली नगर में पारित आदेश दिनांकित 03.03.2022 के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी योजित करने में हुए **1318 दिन** के विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विलम्ब के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कथन किया गया है कि माह मार्च–2020 से माह जनवरी–2021 तक कोविड–19 के कारण लॉकडाउन लग गया तथा माह अप्रैल–2021 से सितम्बर–2021 तक फिर कोविड–19 के कारण कोरोना कर्फ्यू जारी रहा और ई.कोर्ट ऐप पर लगी तारीखें प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को बताई जाती रही। आवेदक को परिवाद संख्या–18251/2020 मौहम्मद इस्लाम बनाम नौशाद चौधरी अन्तर्गत धारा 138 एन0आई0एक्ट में पारित आदेश दिनांकित 03.03.2022 की जानकारी दिनांक 02.01.2026 को हुई, इसके उपरान्त आवेदक के अधिवक्ता द्वारा परिवाद संख्या–18251/2020 में पारित आदेश दिनांकित 03.03.2022 की सत्य प्रमाणित प्रति दिनांक 07.01.2026 को प्राप्त की तथा दिनांक 08.01.2026 को दाण्डिक निगरानी दाखिल की गयी।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त पत्रावली में दिनांक 18.02.2021 को अभियुक्त को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत तलब किये जाने का आदेश पारित किया गया तथा अग्रिम नियत दिनांक 05.05.2021, 25.05.2021, 11.06.2021, 02.07.2021 तक लॉक डाउन (कोविड–19) के कारण न्यायालय बन्द रहा तथा दिनांक 12.08.2021 के आदेश–पत्र के अनुसार उक्त दिनांक से न्यायालय की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना तथा उक्त तिथि के उपरान्त प्रस्तुत मामले में नियत दिनांक 31.08.2021, 08.09.2021, 06.12.2021 को परिवादी के उपस्थित न आने पर आदेश दिनांक 03.03.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी की लगातार अनुस्थिति के कारण उक्त परिवाद को निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया हैं। आवेदक की ओर से दिनांक 12.08.2021 से 03.03.2022 तक अपनी अनुपस्थिति के सन्दर्भ में कोई कारण प्रार्थनापत्र में अभिलिखित किया जाना परिलक्षित नहीं है। आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में जो चिकित्सीय प्रपत्रों की छायाप्रतियां दाखिल की गयी है, वह आलोच्य आदेश पारित होने के उपरान्त के है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आवेदक की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार सम्बन्धित पत्रावली में आदेश दिनांकित 03.03.2022, जिसके अनुसार सम्बन्धित पत्रावली परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त की गयी है, के बाद भी माह जुलाई वर्ष 2025 तक अग्रिम तिथियां नियत होना दर्शित किया गया है, अर्थात आवेदक/परिवादी को मामले की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी उसके द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आक्षेपित आदेश के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी योजित न करके **1318 दिन** के विलम्ब से दिनांक **08.01.2026** को समय सीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के साथ यह निगरानी योजित की गयी है तथा उक्त विलम्ब के सन्दर्भ में आवेदक की ओर से अपने आवेदन–पत्र में कोई सन्तोष–जनक कारण दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में कि आवेदक को परिवाद संख्या– 18251/2020 उसकी अनुपस्थिति में निरस्त होने की जानकारी प्रथमतः दिनांक 02.01.2026 को हुई, में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर। सतेन्द्र कुमार दिनांक 24.08.2026

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में पूर्ण रूप से असमर्थ रहा है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र–7क अन्तर्गत धारा–5 समयावधि अधिनियम निरस्त किया जाता है ।

इस आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय का मूल अभिलेख अवर न्यायालय को निमयानुसार वापस भेजा जाये।

प्रस्तुत पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक 24.08.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891